संख्या-107/2017/आर-1668/26-3-2017-4(55)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 जुलाई 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तगत पशु/जनचिकित्सालय के भवन मरम्मत व प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-79/ज.जा.वि./निर्माण/17-18, दिनांक-14.06.2017 के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"4225-02-796-01-0104-24-बृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत एकीकृत विकास परियोजना चन्दनचौकी, लखीमपुरखीरी के परिसर में पशु/जनचिकित्सालय के भवन मरम्मत एवं प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु प्राविधानित आय-ब्ययक धनराशि रूपया-1335.60 लाख के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से 05 माह हेतु स्वीकृत धनराशि रूपया-556.50 लाख (रूपया पांच करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र) में से वर्तमान में उपलब्ध धनराशि रूपया-56.50 लाख के सापेक्ष रूपया-25.00 लाख (रूपया पच्चीस लाख मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की अनुमति प्रदान करते हैः-

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में विना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4)-उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी।प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक (निर्माण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त कराये जायेगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0100%$रा0 %)-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017, में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही हैं।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-107/2017/आर-1668(1)/26-3-2017तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0।
3- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in